बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा (उ0प्र0)

निविदा सं0 01/2022-23

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा परिसर के अन्तर्गत क्रय सुविधा केन्द्र में निर्मित दुकानों को किराये पर आंवटित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। किराये पर दुकान लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति आवदेन पत्र दिनांक 20.02.2023 से 13.03.2023 तक क्रय विभाग कार्यालय में अपरान्ह 05.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करा सकते है। निविदा की विस्तृत शर्ते, दुकानों का विवरण साइज आदि क्रय विभाग कार्यालय अथवा विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.buat.edu.in से प्राप्त कर सकते है।

17/02/2023

अध्यक्ष, वि0क्र0स0

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा, उ0प्र0

आवेदन पत्र

निविदादाता द्वारा भरे जाने के लिए प्रपत्र

1. अभ्यर्थी/फर्म का नाम : ....

2. अभ्यर्थी/फर्म फर्म का पता : ....
(आधार कार्ड एवं निवास प्रमाण ....
पत्र की छायाप्रति संल्न करें।) ....

3. फोन नं0 : ....

4. दुकान संख्या जिसके लिये
आवेदन किया गया हो। : ....

5. पैन नं0 :
(प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

6. आधार संख्या
(प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

7. जी0एस0टी0 एवं प्रमाण
(धोबी,सब्जी, एवं नाई के
आवेदकों को छोड़कर) : ....

निविदादाता के नाम एवं हस्ताक्षर

मै प्रमाणित करता हुँ कि मेरे द्वारा निविदा से सम्बन्धित समस्त नियम एवं शर्तो को पढ़ लिया गया है। मेरे द्वारा उपरोक्त भरी/उपलब्ध कराई गई समस्त सूचनायें सत्य एवं सही है।

निविदादाता के नाम एवं हस्ताक्षर

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा, उ0प्र0

वित्तीय निविदा प्रपत्र

निविदादाता द्वारा भरे जाने के लिए प्रपत्र

क्र.स.	दुकान सख्ंया	दुकान का विवरण	न्यूनतम किराये की दर रूपये–8.00प्रति वर्गफुट से अधिकतम दर	कुल किराये की दर
1.	01	जनरल स्टोर एवं किराना (दुकान की साईज 564.00 वर्ग फीट)		
2.	02	लेखन सामग्री, टाइपिंग, फोटो कापी एवं प्रिंट हेतु (दुकान की साईज 466 वर्ग फीट)		
3.	03क	सैलून (दुकान की साईज 159.75 वर्ग फीट)		
4.	03ख	धोबी (दुकान की साईज 159.75 वर्ग फीट)		
5.	04	फल, जूस एवं सब्जी की दुकान (दुकान की साईज 325.40 वर्ग फीट)		
6.	05	साईबर कैफे (दुकान की साईज 380.90 वर्ग फीट)		
6.	06	कैन्टीन (चाय, नास्ता, भोजन आदि) दुकान की साईज 529.00 वर्ग फीट)		

बंदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत सुविधा क्रय केन्द्र की दुकानों के आंवटन हेतु प्रकाशित निविदा की विस्तृत नियम एवं सामान्य शर्तेः–

1. कुल 05 दुकानों एवं 01 कैन्टीन को किराये पर आवंटित किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

- दुकान संख्या 01 – जनरल स्टोर एवं किराना (दुकान की साईज 564.00 वर्ग फीट)
- दुकान संख्या– 02 – लेखन सामग्री, टाइपिंग, फोटो कापी एवं प्रिंट हेतु (दुकान की साईज 466 वर्ग फीट)
- दुकान संख्या– 03क – सैलून (दुकान की साईज 159.75 वर्ग फीट)
- दुकान संख्या– 03ख – धोबी (दुकान की साईज 159.75 वर्ग फीट)
- दुकान संख्या– 04 – फल, जूस एवं सब्जी की दुकान (दुकान की साईज 325.40 वर्ग फीट)
- दुकान संख्या– 05 – साईबर कैफे (दुकान की साईज 380.90 वर्ग फीट)
- दुकान संख्या– 06 – कैन्टीन (चाय, नास्ता, भोजन आदि) दुकान की साईज 529.00 वर्ग फीट)

2. उपरोक्त दुकानो / कैन्टीन की न्यूनतम किराये की दर वर्तमान में प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार रू0– 8.00 प्रति वर्गफुट निर्धारित की गयी है। किराये की अधिकतम दर एवं निविदा की शर्ते पूर्ण करने वाले व्यक्ति को दुकान किराये पर आवंटित की जायेगी।

3. प्रात्रताः

i. प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का व्यस्क नागरिक हो तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तो का पालन करने हेतु वचनबद्व हो ।

ii. एक दुकान के लिए एक समान किराये की दर प्राप्त होने के उपरान्त किराये को बढाया जा सकता है अथवा पुनः टेण्डर किया जा सकता है।

iii. दुकान का आंवटन एवं वर्ष के लिए मान्य होगा। उसके उपरान्त समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी। समिति की संस्तुति एवं संक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त किराये के दर को बढ़ाया जा सकता है अथवा पुनः टेण्डर किया जा सकता है।

iv. आवेदन फार्म रू0–500.00 नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पक्ष में तैयार करके वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा किया जायेगा तथा फार्म विश्वविद्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे सांय 05:00 तक जमा किया जायेगा।

v. निविदा दिनांक– 13.03.2023 को सांय 05:00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक– 14.03.2023 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी।

vi. आवेदन पत्र के साथ अर्नेस्ट मनी रू0– 5000.00 का बैक ड्राफ्ट वित्त नियंत्रक, बांदा कषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा।

vii. जिस भी निविदा दाता को दुकाने आवंटित होती है तो उसे जमानत धनराशि के रूप में प्रत्येक दुकान संख्या– 01,02,04,05 तथा कैन्टीन (06) हेतु रू0– 25000.00 एवं दुकान संख्या– 03क एवं 03ख हेतु रू0–5000.00 का बैंक ड्रॉफ्ट वित्त नियंत्रक, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पक्ष में तैयार करके वित्त नियंत्रक कार्यालय में आवंटित की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

viii. आवंटित दुकान में मदिरा, विस्फोटक सामग्री, आग्नेयास्त्र इत्यादि रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

ix. प्रत्येक आवंटी को दुकान पर किसी भी आवंछित व्यक्ति को अथवा जो विश्वविद्यालय के हित के विपरीत कार्य करे, मर्यादा का उल्लधन करें, उस व्यक्ति को शरण देना पूर्णतः वर्जित होगा।

x. किरायेदार को प्रत्येक माह का किराया प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वित्त नियंत्रक कार्यालय में जमा कराना होगा। 03 माह से अधिक का किराया बकाया होने पर किरायेदार काबिज बेदखली होगा।

xi. प्रत्येक आंवटी को किसी भी दशा में प्रश्नगत दुकान में से किसी किरायेदार बसाने अथवा बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के किसी अन्य को कब्जा देने का अधिकार नहीं होगा।

xii. आवंटी को विद्युत बिल व पानी के बिल का भुगतान अलग से करना होगा।

xiii. प्रत्येक आवेदक को प्रमाणित चरित्र प्रमाणपत्र देना होगा।

xiv. उन आवेदको का जिनका आवेदन पत्र किन्ही कारणो से निरस्त कर दिया गया है अथवा लाटरी में असफल रहा हो तो आवेदक द्वारा दी गयी धनराशि को औपचारिकताओं की प्रतिपूर्ति के पश्चात वापस कर दिया जायेगा।

xv. दुकानो का आवश्यकतानुसार आकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

xvi. आवंटी को समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दुकान सम्बन्धी समस्त आदेशों/निर्देशों/नियमों का पालन करना होगा।

xvii. आवंटी को जिस कार्य हेतु दुकानों का आवंटन किया जायेगा, उस व्यवसाय के अतिरिक्त कोई भी नया व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व उसे सम्पत्ति अधिकारी, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

xviii. प्रत्येक आवेदक का आवंटन के पूर्व इस आशय का नोटरी शपत पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्व शासन/प्रशासन आदि द्वारा काई अपराधिक व वित्तीय मामला किसी भी स्तर पर विचाराधीन नही है। और न ही वह सजायाप्ता है। उसे विश्वविद्यालय के सभी नियम व शर्ते मान्य है। किसी भी सूचना के असत्य पाये जाने पर आवंटन निरस्त व जमानत राशि जब्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

xix. किसी भी आवेदक के आवेदन पत्र के स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

xx. आवंटन की प्रक्रिया अथवा दुकानो के प्रीमियम व किरायेदारी के सम्बन्ध में किसी भी विषय पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस बिषय में कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा, उत्तर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

xxi. आवंटन के पश्चात दुकान आवंटी व विश्वविद्यालय के मध्य यदि कोई बिवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई केवल बांदा न्यायालय में होगी।

17/02/2023

अध्यक्ष

क्रय समिति